संख्या : 53/2019/868/छप्पन-2019-180(लेखा)/1982

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 11 जुलाई, 2019

विषय : भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा लखनऊ में खुले बचत खाता से स्थायी अग्रिम की धनराशि का लेन-देन किए जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 31/ना0उ0नि0/लेखा/2019 दिनांक 11 अप्रैल, 2019 में किए गए प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल सरकारी वायुयानों से सम्बन्धित दिन प्रतिदिन के आवश्यक एवं अपरिहार्य आकस्मिक व्यय का वहन करने के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 को रू0 10,00,000.00 (रूपए दस लाख मात्र) के स्थायी अग्रिम की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-87/2017/1676/छप्पन-2017-180(लेखा)/82 दिनांक 22 नवम्बर, 2017 के क्रम में नागरिक उड्डयन निदेशालय में वायुयानों के संचालन/अनुरक्षण आदि से सम्बन्धित दिन-प्रतिदिन के आवश्यक एवं अपरिहार्य आकस्मिक व्ययों को वहन करने तथा समस्त दैनिन्दन कार्यों के सुचारू सम्पादन किए जाने हेतु स्थायी अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन उ0प्र0 लखनऊ के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा लखनऊ में खुले बचत खाता से लेन-देन किए जाने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. नागरिक उड्डयन निदेशालय में वायुयानों के संचालन/अनुरक्षण आदि से सम्बन्धित दिन-प्रतिदिन के आवश्यक एवं अपरिहार्य आकस्मिक व्ययों को वहन करने तथा समस्त दैनिन्दन कार्यों को सुचारू सम्पादन किए जाने हेतु स्थायी अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु निदेशक,नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ के नाम से खुले बचत खाते का प्रयोग करने हेतु निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा शासनादेश संख्या-755/छप्पन-75/91 दिनांक 12 अक्टूबर, 1992 तथा शासनादेश संख्या-893/छप्पन-2012-12/10 दिनांक 23 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों का अक्षरश: अनुपालन किया जाएगा।
2. निदेशक, नागरिक उड्डयन को जिस प्रयोजनार्थ धनराशि प्राप्त हुई है, उसका उपयोग किसी भी दशा में अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा तथा दोंनो प्रकार की धनराशियों से किए गए लेन-देन के लेखे अलग-अलग रखे जाएंगे।
3. इस प्रकार के वित्तीय लेन-देन के आहरण/समायोजन में यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या क्षति होती है, तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या : एफ0ए-1-115/दस-2019, दिनांक 08 जुलाई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

संख्या: 53/2019/868 (1)/छप्पन-2019-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ-20
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (लेखा) अनुभाग-1
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।